

क्रमांक 17/11/16 दिनांक 20/11/16

आदेश-पत्रक

(वेतन विधि-हस्तक. 1981 का विभाग 129)

विभाग का नाम:

दिनांक 20/11/16

यह आदेश सर्व शिक्षा विभाग के अधीन

आदेशों और प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत

आदेश: यह आदेश कार्यालय के द्वारा ही जारी किया जायेगा

20/11/16 अपर सहायता (मार्ग 8) पत्रांक 591/11/16 दिनांक 8/11/16 से लालावली देवी ग्राम स्टाडी (अवकाश) के छात्र आदेश के अन्तर्गत से 11/11/16 से 15/11/16 के अवकाश का आदेश। जिसका भुमि विवरण निम्न-वन्त है।

भुमि का विवरण			
ग्राम	खाना	प्लॉट	अक्षर
स्टाडी	76	846	2.45570

अतः सूचित किया जाता है

कि नारीय निर्माण कर साक्षर प्रदान करें। अभिज्ञान दिनांक 20/11/16 को अक्षर।

20.11.16
अ. मा. 10

20/11/16
अ. मा. 10

7/3/15 अतिथित उपस्थापित।
 नदीय नालिका प्रदा। अतिथित
 के साथ संलग्न। दोनो पत्र
 उपस्थित। कार्य कार्य-युक्त
 अतिथित 100 15/3/15 के
 अर्थ।

15-3-15
 ओ ओ

15/3/15 अतिथित उपस्थापित।
 दोनो पत्र उपस्थित। प्रथम पत्र
 मूल अज्ञान के साथ उपस्थित
 अथवा के अतिथित। द्वितीय पत्र
 का सम्पूर्ण दस्तावेज के अतिथित।
 स. 0 000/ अं अतिथित के अतिथित
 के। अतिथित का अतिथित
 अतिथित अतिथित 23/3/15 के अतिथित।

15-3-15
 ओ ओ

23/7
 15 अतिथित उपस्थापित।
 अतिथित पत्र उपस्थित। द्वितीय-
 पत्र के साथ अज्ञान प्रदा
 कार्य के साथ समर्थ की मांग
 की गई है।
 द्वितीय पत्र का लाभ
 अतिथित के अतिथित 26/8/15

का अर्थ।

ओ ओ

26/8/15

अभिमान उपस्थापित ।
प्रथम पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित ।
द्वितीय पक्ष को ^{के द्वारा} ~~वेनागाल~~ ^{नायेक} निर्देशित
कें । अभिमान दिनांक 15/9/15 का
वखें ।

51/01/8
H E E
Mun Prasad

अं अ
4/85

15/9/15
10/9/15

अभिमान उपस्थापित ।
अनुपस्थित पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष के द्वारा
पुनः समझ की माँग की गई है । पुनः समझ
कें । अभिमान दिनांक 28/9/15 का वखें ।

18-09-15
अं अ

28/9/15

अभिमान उपस्थापित ।
प्रथम पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित ।
पुनः मायेक निर्देशित कें । अभिमान दिनांक
28/9/15 का

51/01/8
H E E
Mun Prasad

अं अ

28/10/15

अभिमान उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थित ।
द्वितीय पक्ष को समझ की माँग की गई है ।
समझ कें । अभिमान दिनांक 30-10-15 का
वखें ।

51/01/8
H E E
Mun Prasad

अं अ

7/12/15

अभियोग उपस्थापित।
दोनों पक्ष उपस्थित। संकल्पित पक्ष का अंत-
समय देने के लिए अभियोग रिपोर्ट 18/12/15
का रखें।

अ. 07.12.15
अ. 07

~~7/12/15~~

18/12/15

अभियोग उपस्थापित। द्वितीय पक्ष क न रखे।
समय की मांग की जाई है। अभियोग रिपोर्ट
5/1/16 का रखें।

अ. 18.12.15
अ. 18

7/12/15

18/12/15

19/02/2021

अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों को बार-बार नोटिश करने के बाद भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस पर रूची ले रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष को कोई रूची नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

19/2/21
अंचल अधिकारी
माण्डू